न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 48/2020 दायर दिनांक: 02.09.2020

उनवान

1. गोकुल प्रसाद पि. गिरधारी जाति धाकड नि. सलोतिया तहसील सुनेल
— वादी

बनाम

1. प्रहलाद पि. रामनारायण जाति धाकड नि. सलोतिया तहसील सुनेल
2. मृतक—शिवलाल पि. रामनारायण जाति धाकड नि. सलोतिया

2/1 प्रकाशचन्द पि. शिवलाल जाति धाकड नि. सलोतिया तहसील सुनेल

2/2 दिनेश कुमार पि. शिवलाल जाति धाकड नि. सलोतिया तहसील सुनेल

3. सुखीबाई बैवा रामनारायण जाति धाकड नि. सलोतिया तहसील सुनेल
4. शाखा प्रबन्धक बडौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सुनेल
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्धान अभिभाषक —

वकील वादी — श्री प्रेमचन्द चौधरी

प्रतिवादी सं. 1 से 4 — एकतरफा

निर्णय दिनांक 11.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी उपस्थित। यह दावा अर्न्तगत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम मारूमखेडी की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 90 के ख.नं. 6 रकबा 5.4000 है. भूमि के सम्बन्ध में वादी एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर खाता विभाजन का वाद डिक्री किया जावे। इस न्यायालय के आदेश व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.03.2025 से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्थान काश्तकारी (राजस्व म[illegible]) [illegible] 1955 के नियम 18 से 21 के अधीन राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से ए[illegible]के पर कब्जे काश्त के आधार पर खाता विभाजन का प्रस्ताव मय नक्शा तैयार कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 16:38:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

पेश करने हेतु तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया गया। तहसीलदार रायपुर द्वारा उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.03.2025 की पालना में पत्र कमांक/राजस्व/2025/437 दिनांक 21.04.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया, जिस पर अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.2025 की पालना में प्राप्त व स्वीकार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार ग्राम मारूमखेडी की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 90 के ख.नं. 6 रकबा 5.4000 है. भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।' पक्षकारान का रहन यथावत दर्ज रहेगा। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है:—

क्र. स.	ग्राम	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है0	दिशा
1	मारूमखेडी	गोकुल प्रसाद पि. गिरधारी जाति धाकड नि. सलोतिया	6	2.7000	पश्चिम
2		प्रहलाद पि. रामनारायण हि. 1/3 प्रकाशचन्द पि. शिवलाल हि. 1/6 दिनेश कुमार पि. शिवलाल हि. 1/6 सुखीबाई बैवा रामनारायण हि. 1/3 जाति धाकड नि. सलोतिया	6	2.7000	पूर्व

तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/6/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:38:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फाईनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 48 / 2020 **दायर दिनांकः 02.09.2020**

उनवान

1. गोकुल प्रसाद पि. गिरधारी जाति धाकड नि. सलोतिया तहसील सुनेल

— वादी

बनाम

1. प्रहलाद पि. रामनारायण जाति धाकड नि. सलोतिया तहसील सुनेल
2. मृतक—शिवलाल पि. रामनारायण जाति धाकड नि. सलोतिया

2/1 प्रकाशचन्द पि. शिवलाल जाति धाकड नि. सलोतिया तहसील सुनेल

2/2 दिनेश कुमार पि. शिवलाल जाति धाकड नि. सलोतिया तहसील सुनेल

3. सुखीबाई बैवा रामनारायण जाति धाकड नि. सलोतिया तहसील सुनेल
4. शाखा प्रबन्धक बडौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सुनेल
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्धान अभिभाषक —

वकील वादी — श्री प्रेमचन्द चौधरी

प्रतिवादी सं. 1 से 4 — एकतरफा

मिनजानित मुदई रूबरू ....x..........................मिनजाबिन मुदालयह हुक्म व डिक्री दी जाती है कि इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.2025 की पालना में प्राप्त व स्वीकार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार ग्राम मारूमखेडी की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 90 के ख.नं. 6 रकबा 5.4000 है. भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पक्षकारान का रहन यथावत दर्ज रहेगा। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है:—

क्र. स.	ग्राम	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा हे0	दिशा
1	मारूमखेडी	गोकुल प्रसाद पि. गिरधारी जाति धाकड नि. सलोतिया	6	2.7000	पश्चिम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:38:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

2	मारूमखेडी	प्रहलाद पि. रामनारायण हि. 1/3 प्रकाशचन्द पि. शिवलाल हि. 1/6 दिनेश कुमार पि. शिवलाल हि. 1/6 सुखीबाई बैवा रामनारायण हि. 1/3 जाति धाकड नि. सलोतिया	6	2.7000	पूर्व

तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

11/6/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

निज ....X............ मुबालिक ....X.............. बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशरह ....X..
....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X....... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 11.06.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मुदई		मुद्दालेय	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:38:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner